Indian Scholar

ISSN 2350-109X

www.indianscholar.co.in

An International Multidisciplinary Research e-Journal

बाल श्रम – समस्या और समाधान

श्रीमती संजूलता तिवारी
शोधार्थी
विधि संस्थान,
जीवाजी विश्वविद्यालय,
ग्वालियर (म.प्र.)

बाल श्रम आज हमारे देश की ज्वलंत समस्याओं में से एक है। 'बाल श्रमिक' हमारी व्यवस्था, समाज व संवेदना की उस नकारात्मक, शोषणवादी मानसिकता का ही मूर्तरूप है, जो स्वार्थ व दोहरी विचारधारा की तथाकथित परिणति है। जो सभ्य आर्थिक प्रगति से स्वयं को जोड़ने में गौरवान्वित महसूस करती है, साथ ही साथ गरीबी, अन्याय व स्वयं शोषणकारी अवस्थाओं को उत्पन्न करने का कारक है। वास्तव में बाल श्रम अपने आप में कोई बुराई नही है लेकिन मासूमों का जिस प्रकार शोषण किया जाता है, उनका बचपन छीना जाता है, वह अपने आप में बुराई है। यदि हम किसी का बचपन लौटा नहीं सकतेतो हमें केवल इस आधारपर किसी का बचपन छीनने का कोई अधिकार नहीं है कि वह गरीब माँ-बाप के घर पैदा हुआ है।

विशेष शब्द- बालश्रम, शोषणकारी, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन, विश्वबैंक, व्यावसायिक, आर्थिक, औद्योगिकरण, संवेदना, मानसिकता, संविधान।

बाल श्रम आज हमारे देश की ज्वलंत समस्याओं में से एक है। मैले-कुचैले चीथड़ों से तन को ढाके ये बाल श्रमिक अपने शोषण की कहानी बिना कुछ कहे ही बयां कर जाते हैं। उन्हें भविष्य की चिंता नहीं रही, दो जून का निवाला मिल जाय, यही जीवन का परम उद्देश्य है। अपने श्रम के महत्व से अनभिज्ञ ये बच्चे महज दो-सौ रुपये की ही मासिक दिहाड़ी पर कमर तोड़ मेहनत करते हैं। बाल श्रमिक, भदोही के कालीन उद्योग से लेकर ईंट भट्ठों, रेस्टोरेंट व पटाखा बनाने

वाली कंपनियों तक में अस्वास्थ्यकर कार्यों को बिना रुके कर रहे हैं। जिंदगी के गर्म थपेड़ों ने उनकी मासूमियत व अल्हड़ता को जला कर उनकी किस्मत में बेबसी की लकीरें खींच दी हैं।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 25.2 करोड़, बच्चों की संख्या में से 1.25 करोड़ 5-14 वर्ष के बीच के हैं, जो काम में लगे हुए हैं, जिनमें से ही 1.07 करोड़ बच्चे 10-14 वर्ष की आयु समूह के हैं। भारत में बाल-श्रमिकों की संख्या के बारे में विभिन्न संगठनों द्वारा लगाये गये अनुमान भिन्न-भिन्न तस्वीर प्रदर्शित करते हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 32वें दौर के अनुसार भारत में बाल मजदूरों की अनुमानित संख्या 1.74 करोड़ थी। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन के अनुसार जहाँ भारत में 25 करोड़ बाल-श्रमिक हैं, वहीं विश्व बैंक की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाल-श्रमिकों की संख्या 10-14 करोड़ के बीच है।[1]

संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का श्रमिक, बाल-श्रमिक है। अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार यह उम्र 15 वर्ष निर्धारित की गई है। अमेरिकन कानून 12 वर्ष या कम आयु तथा इंग्लैंड एवं अन्य यूरोपीय देशोंमें 13 वर्ष या कम आयु के श्रमिक को बाल-श्रमिक की श्रेणी में रखता है। भारतीय संविधान में इस मुद्दे पर प्रारम्भ से ही स्पष्ट है। यहाँ 5-14 वर्ष के बीच के बालक/बालिका जो वैतनिक श्रम करते हैं या श्रम द्वारा पारिवारिक कर्ज चुकाते हैं, बाल-श्रमिक हैं। संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी फैक्ट्री, खनन कार्य या किसी जोखिम वाले काम में नहीं लगाया जा सकता। बाल मजदूरी (निषेध और नियमन) अधिनियम, 1986 के अनुसार-वह बालक/बालिका जो 14 वर्ष से कम आयु का हो, बच्चा कहलायेगा तथा कुछ व्यावसायों में कार्य करने से रोका जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार पर सम्पन्न सम्मेलन में कहा गया कि बच्चों के श्रम की वे परिस्थितियाँ, जहाँ उनके कार्य उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए या फिर मानसिक, शारीरिक व आध्यात्मिक हो, बाल-श्रम की परिधि में नहीं आती।

भारत में बाल-श्रम को बढ़ावा देने वाले कई सामाजिक-आर्थिक कारक हैं। गरीबी, बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, कम मजदूरी तथा अशिक्षा जैसे कई ठोस कारक हैं, जिनकी वजह से आज भी भारत में बाल-श्रमिक मौजूद हैं- घोर दरिद्रता के कारण माता-पिता अपने बच्चों को रोजी-रोटी कमाने के लिए भेजते हैं। इसके अलावा वयस्कों को पर्याप्त मजदूरी न मिलने से वे बच्चों को काम पर भेजते हैं। भारत में अनुसूचित जाति एवं जनजाति जैसे सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों में निरक्षरता व्यापक स्तर पर व्याप्त है। वे इस तथ्य की अनदेखी करते हैं कि बच्चों को शिक्षा दिलाने से उनके व्यावसायिक/आर्थिक अवसर नष्ट हो जायेंगे। परिवार का बड़ा होना तथा उसके अनुरूप आय का न होना बाल-श्रम का सबसे

बड़ा कारण है, क्योंकि ऐसी में अभिभावकों के लिए बच्चों की समुचित व्यवस्थाओं को पूरा कर पाना मुश्किल होता है। औद्योगिकरण एवं आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक के कारण नियोक्ता कम खर्च पर यथाशीघ्र अधिकाधिक आय प्राप्त करना चाहता है और बेकारी व गरीबी उन्हें सस्ते बाल-श्रमिक उपलब्ध कराती है। अन्य विकासशील देशों की तरह भारत में परिवार भत्ता या बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलता है। इसी कारण भारतीय अभिभावक अपने बच्चों से श्रम करवाने के लिए मजबूर होते हैं।

बच्चों को देश में उनके अधिकार दिलाने के लिए संविधान में उपबंध बनाये गए हैं जो निम्नलिखित हैं-

संविधान के अनुच्छेद 15(3)[2] द्वारा सरकार को बालकों के लिए अलग से कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 23 बालकों के क्रय-विक्रय एवं उनके द्वारा गैर-कानूनी तथा अनैतिक कार्य करने पर रोक लगाता है। संविधान का अनुच्छेद 24 जो, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खदानों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियोजित करने पर रोक लगाता है।

संविधान का अनुच्छेद (नीति-निर्देशक तत्व) बच्चों के स्वास्थ्य एवं उनके शारीरिक विकास हेतु पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार को निर्देश देता है। अनुच्छेद 39 (ई)[3] में सरकार को बच्चों के बचपन की रक्षा करने और सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं कि उन्हें ऐसे कार्यों में न लगाया जाये, जो उनकी उम्र और स्वास्थ्य के लिए घातक हो। बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने एवं उन्हें शोषण मुक्त करने हेतु सकार ने 1949 में विभिन्न राजकीय विभागों एवं अन्य क्षेत्रों के नियोजन हेतु न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की।

बाल-श्रमिकों की समस्याओं के अध्ययन हेतु 1979 में गुरुपादस्वामी समिति गठित की गयी। बाल-श्रम प्रथा के अन्मूलन हेतु सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रयास एक विस्तृत अधिनियम बनाकर किया गया, जिसे बाल-श्रम निषेध एवं नियमन, अधिनियम 1986 कहा जाता है। इस अधिनियम के माध्यम से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 18 हानिकारक उद्योगों जैसे-कालीन, बुनाई, बीड़ी बनाने, सीमेंट उत्पादन, भवन निर्माण और पत्थर काटने आदि में कार्य करने पर रोक लगायी गई। वर्ष 1987 में 'राष्ट्रीय बाल-श्रम नीति' की घोषणा की गयी और इसके क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाये गये।[4]

बाल मजदूरी को रोकने और राष्ट्र के बचपन को सुरक्षित और अराजकतारहित बनाने के लिए कई कानून बनाए जाने हैं और बच्चों से मजदूरी करवाने को अवैध घोषित किए

जाने के बावजूद बाल मजदूरी का चलन थमा नहीं है। ग्रामीण बच्चों को बंधुआ मजदूरी की सीमा तक शोषित किया जाना जारी है।

ये कानून बच्चों से मजदूरी तो कराने वालोंको दण्डित करने का प्रावधान करके बाल श्रमिक की गुंजाइश मिटाते तो हैं, किन्तु ग्रामीण बच्चों के मामलों में उन्हें तब अक्सर बेबस रह जाना पड़ता है जब स्वयं ग्रामीण जन ही अपने नौनिहालों को कानून की नज़र बचाकर मजदूरीकी भट्टी में झोंक देते हैं।

वास्तव में इस बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए न सिर्फ सरकार को बल्कि आम जनता को दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देना होगा। सरकार यदि बच्चों माता-पिता को रोजगार मुहैया कराये जिससे वे अपने बच्चों का भरण-पोषण ठीक से कर सकेंगे तो इस समस्या से निजात पाई जा सकेगी। सामाजिक संस्थाओं को इस कार्य में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, वे अभिभावकों को जागरूक बनायें तथा उन्हें यह विदित करायें कि बाल श्रम देश की कितनी बड़ी समस्या है एवं इससे उनके बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। सरकार को कुटीर तथा लघु उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए ग्रामीण जनता को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे बच्चों के माता-पिता आत्मनिर्भर बन सकें तथा ऐसी नौबत ही न आये कि उन्हें बच्चों से मजदूरी करवानी पड़े। साथ ही बच्चों के लिए नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा की योजना सरकार ने कागजों पर लागू तो की है पर इसका सही क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, अत: सरकार को इसके लिए कठोर कदम उठाने चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ-

1. विश्व बैंक की मानव विकास रिपोर्ट
2. भारत का संविधान- डॉ. जयनारायण पाण्डेय
3. भारत का संविधान- डॉ. जयनारायण पाण्डेय
4. मिश्र समीरात्मज -निबंध मंजूषा, टाटा मैग्रा-हिल पब्लिशिंग कं.लिमि., नई दिल्ली